



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०- 422 - काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/11-142-पी/86(टीसी) दिनांक 16 मई 2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.04.2011 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सीधी भर्ती से सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता के पदों पर नियुक्त कार्मिकों के तृतीय समयबद्ध वेतनमान (दिनांक 19.02.2009 से पूर्व अनुमन्य कराये गये) दिनांक 01.01.96 अथवा 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने पर वास्तविक अनुमन्यता की तिथि से, जो भी बाद में हो, अनुमन्य/स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 981-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10-4 काविनी/94 दिनांक 14.08.2010 के अनुक्रम में यह आदेश दिये जाते हैं कि 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त एवं तृतीय समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य कराये जाने पर सहायक अभियन्ता को अनुमन्य कराया गया वेतन निर्धारण यदि अवर अभियन्ता को 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अनुमन्य कराये गये तृतीय समयबद्ध वेतनमान में अनुमन्य वेतन निर्धारण से किसी भी समय कम होता है, तो उस दशा में सहायक अभियन्ता का वेतन अवर अभियन्ता के समतुल्य करते हुए इन्हें (सहायक अभियन्ता) वैयक्तिक वेतन (प्रकल्पित) अनुमन्य कराया जायेगा।

उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या 981-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10 दिनांक 14.08.2010 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं०- 422 (1) काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के विशेष कार्याधिकारी।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।

(क्रमशः2)

(2)

6. समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
11. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अनुसचिव (सचिवालय प्रशासन - लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
15. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
16. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
17. सचिव, उ० प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. कम्पनी सचिव, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को दिनांक 27.04.2011 को सम्पन्न छियासी (51/11) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
19. समस्त अधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
20. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से
16/5/11
(आर० के० पाण्डेय)
कार्य०अपर सचिव(प्रथम)